सत्यमेव जयते

कार्यालयअतिरिक्तजिलामजिस्ट्रेट/भूमिअधिग्रहणकलेक्टर
जनपदमध्यउत्तर,जिलामजिस्ट्रेटकार्यालयपरिसर, रामपुरा, दिल्ली-35

F. No.:अवार्डसं. 40 एवं 50/80-81/ हैदरपुरशालीमारबाग / 339-40 **दिनांक:** 02/03/2026

सार्वजनिक सूचना पत्रक

दिनांक 22.01.2026 को जारी पूर्व सार्वजनिक सूचना के क्रम में, खसरा सं. 12 मिन एवं 13 मिन, ग्राम हैदरपुर, शालीमार बाग, दिल्ली, जो कि सरकार द्वाराअवार्ड सं. 40 एवं 50/80-81 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की गई है, के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि उक्त अधिग्रहित भूमि, जो रोड नं. 320, ग्राम हैदरपुर, शालीमार बाग, दिल्ली स्थित है, पर किए गए अनधिकृत निर्माणों में रह रहे/कब्जा किए हुए सभी अनधिकृत कब्जाधारियों को यह अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि वे दिनांक 05 एवं 06 मार्च, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें तथा यदि कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करें कि सार्वजनिक हित में सड़क चौड़ीकरण हेतु उक्त अधिग्रहित भूमि का कब्जा क्यों न लिया जाए।

लिखित उत्तर, संबंधित दस्तावेजी साक्ष्यों एवं संपर्क विवरण सहित, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सेंट्रल नॉर्थ), कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सेंट्रल नॉर्थ जिला, रामपुरा, दिल्ली-35 के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा ई-मेल के माध्यम से lac.centralnorth@gmail.com पर भेजा जा सकता है।

यदि कोई उत्तर या पर्याप्त स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त अधिग्रहित भूमि पर किसी भी अनधिकृत कब्जाधारी का कोई वैध अधिकार, दावा या हित नहीं है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि-अनुसार अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले लिया जाएगा।

Land Acquisition Collector * District Central North *

RRanjan 02/03/26

भूमिअधिग्रहणकलेक्टर / अतिरिक्तजिलामजिस्ट्रेट
सेंट्रलनॉर्थजिला

कॉपी: -

1. SDM/तहसीलदार (शालीमार बाग), दिल्ली और तहसीलदार/नायब तहसीलदार (LAC/CN) को DM/ADM/SDMs/तहसीलदारों के ऊपर दिए गए नोटिस बोर्ड और गांव हैदरपुर, शालीमार बाग, दिल्ली में साफ़/दिखने वाली पब्लिक जगहों पर लगाने हैं। इसके अलावा, SDM/तहसीलदार (शालीमार बाग), दिल्ली प्रिंट मीडिया/अखबारों (हिंदी/इंग्लिश)/ मुनादी के ज़रिए बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी पक्का करेंगे।

2. डीआईओ (सेंट्रल नॉर्थ) ऊपर दिए गए नोटिस को रेवेन्यू डिपार्टमेंट, GNCTD की वेबसाइट पर अपलोड करें।